तथस्त दृष्टांत
2023:सीजीएचसी**:8557**

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपीएस नं. 4583/2022

आदेश सुरक्षितः 23.11.2022

आदेश पारितः 28.03.2023

ऋषि शर्मा पिता राम चरण शर्मा, उम्र– लगभग 41 वर्ष,
निवासी– ग्राम अजनोदा, पोस्ट–मेहगांव, जिला–भिंड (म.प्र.)
वर्तमान निवासी– तितुरडीह, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़

––––– याचिकाकर्ता

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा–सचिव,
   गृह पुलिस विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक, छ.ग. सशस्त्र बल,
   रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छ.ग. सशस्त्र बल,
   पुलिस मुख्यालय रायपुर,
   जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
4. पुलिस महानिरीक्षक, छ.ग. सशस्त्र बल–1,
   पुलिस मुख्यालय रायपुर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़
5. कमांडेंट 4 थीं बटालियन, छ.ग. सशस्त्र बल,
   माना, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

–––––– उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता द्वारा	**: श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता।**
राज्य द्वारा	**: श्री श्रीकांत कौशिक, पी.एल.।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीया श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

सी.ए.वी. आदेश

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2011 (अनुलग्नक पी/1), 20.12.2011 (अनुलग्नक पी/2), 27.02.2012 (अनुलग्नक पी/3) और 22.08.2012 (अनुलग्नक पी/4) के विरुद्ध संस्थित की गई है। याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 12.09.2011 के द्वारा सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई थी। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अपील दायर की जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 21.01.2011 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दया अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 4 थीं बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। संतोष चिरामन द्वारा एक शिकायत की गई थी, जो भी याचिकाकर्ता के साथ कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था। यह शिकायत शिकायतकर्ता संतोष चिरामन से दामाद को नौकरी दिलाने के लिए पैसे की मांग के बारे में थी। इस शिकायत पर दिनांक 02.09.2010 को श्री वी.के. द्विवेदी, सहायक कमांडेंट द्वारा प्रारंभिक जांच की गई

और पाया गया कि याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता संतोष चिरामन और भोला राम नायक पैसे की अवैध मांग में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, प्रतिवादी क्रमांक 5 अर्थात् कमांडेंट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया लेकिन संतोष चिरामन और भोला राम नायक के खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया। इसके बाद, आरोप पत्र प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इंकार किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 17.12.2010 को श्री वी.पी. शर्मा, डिप्टी कमांडेंट 4 थीं बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने विभागीय जांच करने की प्रक्रिया का पालन किए बिना और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना और जांच के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन और बचाव पर विचार किए बिना अपना निष्कर्ष अर्थात कमांडेंट की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.05.2011 को प्रस्तुत की, जिसमें आरोप क्रमांक 1 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया और आरोप क्रमांक 2 सिद्ध पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान की और याचिकाकर्ता को दिनांक 15.07.2011 को जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के निवेदन और स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना आदेश दिनांक 12.09.2011 द्वारा उसे सेवा से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बर्खास्त करने के दण्ड से दंडित किया गया । याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी/उत्तरवादी संख्या 4 के समक्ष अपील दायर की, लेकिन आदेश दिनांक 20.12.2011 के अनुसार इसे खारिज कर दिया गया। तब याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष दया अपील/दूसरी अपील दायर की और आदेश दिनांक 27.02.2012 के अनुसार इसे उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा पुनः खारिज कर दिया गया। दिनांक 27.02.2012 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष पुनरीक्षण अपील दायर की और उत्तरवादी क्रमांक 2 ने बहुत ही साधारण तरीके से कारण दर्शित किये बिना आदेश दिनांक 22.08.2012 के द्वारा याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह याचिका प्रस्तुत की गई है:-

10.1 माननीय न्यायालय उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.09.2011 (अनुलग्नक पी/1), उत्तरवादी क्रमांक 4 अर्थात पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल-1, पुलिस मुख्यालय-रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2011 (अनुलग्नक पी/2), उत्तरवादी क्रमांक 3 अर्थात् अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2012 (अनुलग्नक पी/3) और उत्तरवादी क्रमांक 2 अर्थात् पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़

सशस्त्र बल, रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2012 (अनुलग्नक पी/4) को अपास्त करने की कृपा करें।

10.2 माननीय न्यायालय उत्तरवादी प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को सभी आनुषांगिक अनुतोष एवं बकाया वेतन सहित सेवा में बहाल करने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.3 अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार याचिकाकर्ता को प्रदान करना उचित समझता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि सम्पूर्ण विभागीय जांच में त्रुटियां हैं, क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने विभाग के मामले में अभियोजन चलाने के लिए कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया, जबकि इस मामले में जांच अधिकारी ने स्वयं जांचकर्ता, अभियोजक/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य किया तथा प्रबंधन/विभाग की ओर से मामले में अभियोजन चलाया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन है। यह सुस्थापित विधि है कि जांच अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ जांच अधिकारी के रूप में भी कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने अत्याधिक मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से तथा पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह तरीके से केवल याचिकाकर्ता को ही आरोप–पत्र जारी किया, जबकि उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में शिकायतकर्ता संतोष चिरामन और भोज राम नायक

को भी पैसे की मांग के अवैध और संदिग्ध लेनदेन में शामिल पाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोप–पत्र जारी नहीं किया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जांच रिपोर्ट में आरोप क्रमांक 1 आंशिक रूप से सिद्ध हुआ है, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बिना किसी साक्ष्य के मनमाने और पूर्व निर्धारित तरीके से यह मान लिया कि आरोप क्रमांक 1 पूर्णतः सिद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.1 इसी घटना के लिए उत्तरवादी क्रमांक 5 ने भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन–माना में शिकायत की थी, लेकिन जांच अधिकारी ने जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है और उसके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है, ऐसे में उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का कोई कारण नहीं था। विभागीय जांच में, शिकायतकर्ता का दामाद उक्त प्रकरण का मुख्य गवाह था, लेकिन जांच अधिकारी ने बिना किसी दस्तावेज के याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष दिया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पुलिस विनियम के खंड 64 के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने आगे व्यक्त किया है कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के लिए प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा आश्चर्यचकित करने वाली, अनुपातहीन,

अनुचित और अनावश्यक रूप से कठोर है और इस तरह की सजा को संशोधित किया जाना चाहिए। पूरी विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर गलत है। इस न्यायालय द्वारा **केशव सिंह यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** WP(S) क्रमांक 298/2011 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2019 तथा **विनोद कुमार कोरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**, 2016 CJ (Chh) 317 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2016 में निर्भरता व्यक्त की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने विभागीय जांच पर विचार करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और विद्यमान नियमों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई तथा याचिकाकर्ता को सेवा नियमों के अनुसार दंडित किया गया। अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, इसलिए तीनों प्राधिकारियों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष जिसमें याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी पाया गया और सेवा समाप्ति का दण्ड लगाया गया में इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया और दस्तावेज में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि जांच अधिकारी ने स्वयं ही प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य किया है और विभाग की ओर से किसी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की उपस्थिति के बिना ही स्वयं जांच की है। सभी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विभागीय जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

7. **उत्तरांचल राज्य एवं अन्य बनाम खड़क सिंह (2008) 8 SCC 236** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यक्त करते हुए अभिनिर्धारित किया कि जांच अधिकारी का कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, जहाँ उन्होंने अन्वेषक, अभियोजक और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया:–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"17. दूसरी ओर, श्री पी.सी. लोहानी, उप संभागीय वन अधिकारी, नंधौर ने जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कुछ प्रश्न पूछे और उत्तर प्राप्त करने के बाद 16.11.1985 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसी गवाह की जांच नहीं की गई। जाहिर तौर पर, वहां कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी नहीं था। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने स्वयं जंगल के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और कुछ कथित कमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न पूछकर अपराधी से कुछ उत्तर प्राप्त किए। यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने स्वयं अन्वेषक, अभियोजक और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। ऐसी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत

है और इस न्यायालय द्वारा इसकी निंदा की गई है।"

8. <u>भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य</u> AIR 1983 SC 454 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है:–

"––––वास्तव में, न्याय और निष्पक्षता की मांग है कि जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में विभाग का प्रतिनिधित्व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाता है, वहां प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह उसकी ओर से उपस्थित होकर नियुक्ति के तथ्य के बारे में अपराधी को सूचित करे और जांच शुरू होने से पहले अपराधी के किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता लेने के अधिकार के बारे में भी बताए। किसी भी स्थिति में जांच अधिकारी को कम से कम अपराधी अधिकारी से यह पूछना चाहिए कि क्या वह अपने बचाव के लिए विभाग से किसी को नियुक्त करना चाहेगा और जब अपराधी सेवा के निचले स्तर से संबंधित सरकारी कर्मचारी है, तो उसे यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि वह संबंधित नियमों के तहत अपने प्रतिनिधित्व के लिए विभाग से संबंधित किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता लेने का हकदार है। यदि यह जानकारी अपराधी सरकारी कर्मचारी को दिए जाने के बाद भी वह सहायता प्राप्त किए बिना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनता है, तो कोई यह कह सकता है कि नियमों का पर्याप्त अनुपालन हुआ है। लेकिन ऐसी सूचना के अभाव में, यदि जांच आगे बढ़ती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा कि क्या अपीलकर्ता दोषी सरकारी कर्मचारी को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया गया था और यदि उत्तर नकारात्मक है, तो अगला प्रश्न यह है कि क्या जांच दोषपूर्ण है? इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों निम्नानुसार व्यक्त किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"नियम 15 के उपनियम (5) में निहित प्रावधान से इसके सही अर्थ में यह सिद्धान्त निकाला जा सकता है कि जहां विभाग का प्रतिनिधित्व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाता है, वहां दोषी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, विशेष रूप से जहां वह चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ऐसी है कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे जांच करने के लिए निर्धारित तकनीकी नियमों की जानकारी नहीं है, वह अपनी पसंद के किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा बचाव कराने का हकदार है। यदि सरकारी कर्मचारी ने अवसर का लाभ उठाने से इनकार कर दिया, तो जांच जारी रहेगी। लेकिन यदि दोषी अधिकारी को उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और जांच के समग्र

दृष्टिकोण से पता चलता है कि दोषी सरकारी कर्मचारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अनुशासनात्मक प्राधिकारी की तुलना में तुलनात्मक रूप से नुकसान में था और जैसा कि वर्तमान मामले में, एक वरिष्ठ अधिकारी, सह–अपराधी भी अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो सेवा के निचले स्तर से संबंधित ऐसे सरकारी कर्मचारी की सहायता करने के लिए किसी की अनुपस्थिति, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसे किसी भी पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा है, जांच को निष्प्रभावी कर देगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा (2010) 2 SCC 772** के प्रकरण की कंडिका 27 से 30 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:

"27.......लेकिन फिर भी आरोपों को साबित करने के लिए विभाग को जांच अधिकारी के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह आरोप न लगे कि जांच अधिकारी ने अभियोजक के साथ–साथ न्यायाधीश की भूमिका भी निभाई है।

28. अर्ध न्यायिक प्राधिकरण में कार्यरत जांच अधिकारी स्वतंत्र निर्णायक की स्थिति में होता है। उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। उसका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

की जांच करना है, यहां तक कि दोषी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी यह देखना है कि क्या आरोपों को साबित करने के लिए अखंडित साक्ष्य पर्याप्त हैं। वर्तमान मामले में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चूंकि मौखिक साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, इसलिए दस्तावेज साबित नहीं हुए हैं, और यह निष्कर्ष निकालने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता था कि उत्तरवादियों के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. उपरोक्त के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के नियमों की यह बुनियादी आवश्यकता है कि किसी भी कार्यवाही में कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को सजा दी जा सकती है।

30. जब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच की जाती है तो इसे साधारण कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता। जांच कार्यवाही संकुचित मस्तिष्क से नहीं की जा सकती है। जांच अधिकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि न्याय किया जाए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न्याय किया जा रहा है। प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी के साथ

कार्यवाही में निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त/हटाने सहित सजा दी जा सकती है।"

10. इस उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसी ही परिस्थितियों के निराकरण का अवसर आ चुका है। इस न्यायालय ने WP(S) क्रमांक 1691/2012 **विनोद कुमार कोरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** एवं WP(S) क्रमांक 298/2011 **केशव सिंह यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य** को दिनांक 13.01.2016 को निराकृत किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने तथा जांच अधिकारी द्वारा स्वयं की जा रही जांच को देखते हुए, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। इस न्यायालय ने पुनः WP(S) क्रमांक 1019/2017 निर्णय दिनांक 01.03.2017, WP(S) क्रमांक 1828/2003 निर्णय दिनांक 10.01.2018 और WP(S) क्रमांक 6418/2007 निर्णय दिनांक 06.04.2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त स्थिति को दोहराया है, जिसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ जांच अधिकारी के रूप में कार्य किए जाने के आधार पर जांच कार्यवाही तथा तत्पश्चात की गई कार्रवाई को रोक दिया गया है।

11. इस मामले के तथ्यों और उपर्युक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, सजा के संबंध में दिया गया आक्षेपित आदेश और उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश (क्रमशः अनुलग्नक पी/1, पी/2, पी/3 और पी/4) विधि में स्थिर रखने योग्य नहीं हैं और तदनुसार इन्हें रद्द/निरस्त किया जाना चाहिए।

12. चूंकि यह न्यायालय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न करने के तकनीकी आधार पर सेवा समाप्ति के आदेश तथा अपील/पुनरीक्षण में पारित आदेशों को रद्द कर रहा है, इसलिए यह न्यायालय केवल यह निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता तत्काल बहाली का हकदार होगा तथा यदि उत्तरवादी–प्रबंधन ऐसा चाहे तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न करने के चरण से आगे कार्यवाही करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस न्यायालय ने **WP(S) क्रमांक 298/2011 केशव सिंह यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** के मामले में दिनांक 23.08.2019 को पारित अपने आदेश की कंडिका 14 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

> 14. जहां तक आनुषांगिक लाभों का प्रश्न है, चूंकि याचिकाकर्ता दिनांक 26.09.2009 से आज दिनांक तक नौकरी से बाहर है, इसलिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांतों को लागू करते हुए याचिकाकर्ता बीच की अवधि के लिए आर्थिक लाभों का हकदार नहीं होगा। हालांकि, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, उक्त बीच की अवधि को वरिष्ठता और अन्य आकस्मिक लाभों के उद्देश्य से निरंतर सेवा के रूप में माना जाएगा, जो सभी भविष्यलक्षी होंगे।

14. उपरोक्त मत के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता दिनांक 12.09.2011 से आज दिनांक तक सेवा से बाहर था, इसलिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता बीच की अवधि के लिए आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होगा। हालांकि, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, उक्त बीच की अवधि को वरिष्ठता और अन्य आकस्मिक लाभों के उद्देश्य से निरंतर सेवा के रूप में माना जाएगा, जो सभी भविष्यलक्षी होंगे।

15. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त निर्देशों के पालन साथ अनुमति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**